

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम0पी0इंग्लिश स्कूल
मगरहुआ-वाराणसी।

पत्रांक/बेसिक/ 8675-77

/2015-2016/दिनांक : 22-12-2015

विषय : नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29-10-2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं एम0पी0इंग्लिश स्कूल, मगरहुआ-वाराणसी को तारीख 01-07-2015 से तारीख 31-03-2018 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अनतिथित अग्रणी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पर्याप्त मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथासंभव, नर्सरी कक्षा में) उच्च कक्षा के बालकों को सख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
 - (I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में कंस नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकृत किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 22(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक नियम 22 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पॉथ 22 की अवधि के भंत्तर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
 - (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यवर्षा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-	8000 वर्गफिट
कुल निर्मित क्षेत्र-	5020 वर्गफिट
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल-	प्राप्त है।
कक्षाओं की संख्या-	19
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा-	02
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय-	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा-	उपलब्ध है।
मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई-	--
बाधा रहित पहुँच-	उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- विद्यालय का आवंटित मान्यता का संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(आर0सी0एस0यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

पृ0सं0/बेसिक/ /2015-2016/उसी तिथि को।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) जे.ए. मण्डल, वाराणसी।
2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, जे.ए. मण्डल, वाराणसी।

(आर0सी0एस0यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी

सेवा में,

उप सचिव संबंधता ईकाई
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली

विषय : - कक्षा - 1 से 8 तक की संबंधता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में -

पत्रांक - प्रा0 शि0 प0 /1905-08 / 2019-20

दिनांक 20 सितम्बर, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको अवगत कराना है जिन विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक एक बार मान्यता हो जाती है उन्हें पुनः मान्यता की नवीनीकरण नहीं करानी होती है।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी

पृ0 सं0 / प्रा0 शि0 प0 /1905-08 / 2019 - 20

संलग्नक - प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की छायाप्रति

प्रतिलिपि :- उसी तिथि को प्रबन्धक, श्री संजय कुमार यादव, एम पी इंग्लिश स्कूल मगरहुआ वाराणसी को सूचनार्थ

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी